सत्यमेव जयते

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
केरल, एम.जी.रोड, डाक थैला सं 5607,
तिरुवनंतपुरम - 695 039
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA, M.G. ROAD, P.B. No. 5607
THIRUVANANTHAPURAM - 695 039

सं / No. ..... दिनांक / Date : .....

P19/II/DRSSA-56/UP/2018-19 27/07/2018

To,

All District/Sub Treasury Officers,

Sir,

Sub: Dearness relief @142% on pension/family pension w.e.f.1st January2018 to the Uttar Pradesh state pensioners/family pensioners whose pension has not been revised from 01/01/2016-reg.

Ref: 1.Lr. No. Pension Dept.LID-8952/472 dated 06.06.2018 under SSA received from the Office of the Accountant General (A&E), Uttar Pradesh
2.No. 5/2018-P.C. – 1-362/X-2018-8(M)/2016 of the Secretary, Government of Uttar Pradesh.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the Accountant General (A&E), Uttar Pradesh which encloses Order of Secretary, Govt. of Uttar Pradesh regarding the enhancement of **Dearness Relief to 142 % of the basic pension/ family pension w.e.f. 01.01.2018** to those employees of the state and aided educational & technical educational institutions and urban local bodies who have not opted for the revised pay structure from 1st January, 2016 as per the decision taken on the recommendation of the 1st pay committee, Uttar Pradesh (2016) or those whose pay has not been revised from 01.01.2016. The same is being placed in the official website of this office **www.agker.cag.gov.in** under the link "***Treasury endorsement of orders for other state pensioners***". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

27/7/18

Accounts Officer

Copy to:-

The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Accounts Officer

दूरभाष / Telephone : 0471 - 2330311 फैक्स / Fax : 0471 - 2330242 तार / Grams : ACCOUNTS TRIVANDRUM
इ-मेल / E-mail : agaekerala@dataone.in Website : http://www.agker.cag.gov.in.

PM/2/219/2018-19.
19/6/18

कार्यालय महालेखाकार (ले0 व हक0)द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 इलाहाबाद
Phones: Off. 2622625-26 Fax: 0532-2624402
पत्रांक:-पेंशन विविध/LID-8952/ 472

दिनाँक:- 6-6-2018

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)

Kerela, Thiruvananthapuram. 695039

विषय:- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का दिनाँक 01-01-2018 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

शासनादेश- संख्या-4/2018 वे.आ.-1-361/दस-2018-9(एम)/2016, दिनाँक 16-04-2018.

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1, विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न:- यथोपरि

भवदीय

लेखाधिकारी/पेंशन विविध

संख्या-5/2018-वे0आ0-1-362/दस-2018-8(एम)/2016

प्रेषक,

अलकनंदा दयाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
(3) शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा/शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 18 अप्रैल, 2018

विषय- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति, 30प्र0 (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-01-2018 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

पठित निम्नलिखित

(1) शासनादेश संख्या-10/2017-वे0आ0-1-791/दस-2017-08(एम)/2016, दिनांक 12 दिसम्बर, 2017
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन-संख्या-1/3/2008-ई-II(बी), दिनांक 28 मार्च, 2018

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-10/2017-वे0आ0-1-791/दस-2017-08(एम)/2016, दिनांक 12 दिसम्बर, 2017

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के क्रम में राज्यपाल महोदय प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत ऐसे पदधारकों, जिनके द्वारा वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया गया है अथवा जिन पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू नहीं है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित नहीं हुये हैं को संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2018 से निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01-01-2018	मूल वेतन का 142 प्रतिशत

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1599/दस-42(पम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 01-01-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन मैण्ट्रिक्स में वेतन तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 'वेतन' का अंश माना जायेगा अर्थात प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

4- महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।